संख्या-127/2017/2298/26-3-2017-4(338)/2001 टी.सी.

प्रेषक,

कामता प्रसाद,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राज्य मद्यनिषेध अधिकारी,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांकः 21 अगस्त, 2017

विषयः- क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी कार्यालय, गोरखपुर क्षेत्र गोरखपुर के भवन के किराये निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-1052/26-3-2010-4(338)/2001, दिनांक-17.06.2010 के क्रम में राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-1599 पी0पी0/26-66/77, दिनांक-30.06.2017 एवं पत्र संख्या-2010 पी0पी0/26-66/77, दिनांक-04.08.2017 के संदर्भ मंे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी कार्यालय, गोरखपुर क्षेत्र गोरखपुर के भवन हेतु श्रीमती रेखारानी पाण्डेय, इलाहीबाग रोड, नरसिंहपुर, गोरखपुर, जिसका कारपेट एरिया 850 वर्ग फुट है, का किराया शासनादेश संख्या-1052/26-3-2010-4(338)/2001, दिनांक-17.06.2010 के क्रम में जिलाधिकारी, गोरखपुर के पत्रांक-288/सा0लि0-कि0औ0-17, दिनांक-24.04.2017 द्वारा उत्तर प्रदेश शहरी अधिनियम-1972 की धारा 21(8) के अनुसार उपलब्ध कराये गये औचित्य प्रमाण पत्र के आधार पर दिनांक-01.07.2015 से वित्त (लेखा) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के आदेश आदेश संख्या-ए-2-970/दस-96-24(7)/95, दिनांक-28.06.1996 एवं आदेश संख्या-ए-2-1092/दस-2011-24(7)-95, दिनांक-25.11.2011 में निहित व्यवस्था के अधीन रूपया-9350/- (रूपये नौ हजार तीन सौ पचास मात्र) प्रतिमाह किराया निर्धारित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैंः-

(1)-उक्त भवन के किराये की अवधि अनुबंध के अनुसार 05 वर्ष की होगी।

(2)-किराये की स्वीकृति की सूचना नगर निगम, गोरखपुर को भी दी दिया जाय।

(3)-उक्त भवन का गृह कर भवन स्वामी द्वारा वहन किया जायेगा।

(4)-उक्त भवन के किराये की अवधि अनुबंध नोटरी द्वारा प्रमाणित भवन का हलफनामा राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्राप्त कर लिया जाय।

(5)-स्वीकृत कराये के आधार पर भवन स्वामी से किरायेदारी इकरारनामा राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्राप्त कर लिया जाय।

2- उपरोक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्षक- 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-105-नशाबंदी-04-मण्डलीय कार्यालय-17-किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

कामता प्रसाद
अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0संख्या-127/2017/2298(1)/26-3-2017 तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद।

2-प्रधान महालेखाकार (सिविल आॅडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।

3-जिलाधिकारी, गोरखपुर।

4-कोषाधिकारी,जवाहर भवन, उ0प्र0 गोरखपुर।

5-वित्त (लेखा) अनुभाग-2/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।

6-अधिशासी अधिकारी, नगर निगम, गोरखपुर।

7-श्रीमती रेखारानी पाण्डेय, इलाहीबाग रोड, नरसिंहपुर, गोरखपुर।

8-क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी, गोरखपुर।

9-निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।

10-गार्डफाइल।

आज्ञा से,

कामता प्रसाद
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।